दीनदयाल	27/6/16 केस नांगलपालीया में यह पत्रा. प्राप्त हुई जवाब सरकार प्रस्तुत अ. किया। प्रार्थी द्वारा प्रेषित किये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। जवाब सरकार में प्रार्थी का प्रकरण U/S 136 LR Act का नहीं होना बताया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र - आधार कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम चन्दाराम दर्ज है प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी के पिता का नाम चन्दाराम पुत्र किशनलाल शुद्ध किये जाने में कोई बाधा कानूनी प्रतीत नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है राजस्व रिकार्ड में चन्दा पुत्र किशनलाल के स्थान पर चन्दाराम पुत्र किशनलाल शुद्ध किया जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है पत्रावली नस्ती से कम होकर अद्यतन कमीन दाखिल दफ्तर की जावे। विधि की पालना हेतु अहकाम अनुपालन तहसीलदार जाली किया जावे। विधि केस फाईल में सुरक्षित रखी जावे।

उप खण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

प्रपत्र 8

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प.....

—:आदेश:—

प्रार्थी के *"खाता दुरुस्ती"* प्रार्थना पत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुशरण में ग्राम ....लाहडोद....तहसील कोटकासिम व जिला अलवर की जमाबन्दी सम्वत्....2069-72...में खाता सं0..... 27, 29, 125, 127.....में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:—

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि(अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	लाहडोद	27, 29, 125, 127	चन्दर पुत्र किशनलाल	चन्दा पुत्र किशनलाल

(बलवन्तसिंह लिग्री)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,कोटकासिम

क्रमांक:—कैम्पकोर्ट/16/2016

दिनांक:— 23/5/16

प्रतिलिपि:—

1. तहसीलदार कोटकासिम को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री.. चन्दा पुत्र किशनलाल सा0 लाहडोद.....को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,
कोटकासिम

Scanned by CamScanner